



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 2639]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2899(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 9 अगस्त, 2019 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम के अध्याय-VI के भाग-I के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 28/3/2019-वीओए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2899(E).—In exercise of the powers conferred by section 136 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby appoints the 9th day of August, 2019, as the date on which the provisions of Part I of Chapter VI of the said Act shall come into force.

[F. No. 28/3/2019-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 2640]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2900(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 9 अगस्त, 2019 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम के अध्याय-VI के भाग-IV के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 28/4/2019-बीओए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2900(E).—In exercise of the powers conferred by section 147 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby appoints the 9th day of August, 2019, as the date on which the provisions of Part IV of Chapter VI of the said Act shall come into force.

[F. No. 28/4/2019-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2641]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 2641]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2901(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 9 अगस्त, 2019 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम के अध्याय-VI के भाग-VI के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 28/4/2019-बीओए-I]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2901(E).—In exercise of the powers conferred by section 150 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby appoints the 9th day of August 2019, as the date on which the provisions of Part VI of Chapter VI of the said Act shall come into force.

[F. No. 28/4/2019-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2642]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 2642]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2902(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 9 अगस्त, 2019 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम के अध्याय-VI के भाग-VII के उपवंश प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 28/5/2019-वीओए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2902(E).—In exercise of the powers conferred by section 152 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby appoints the 9th day of August, 2019, as the date on which the provisions of Part VII of Chapter VI of the said Act shall come into force.

[F. No. 28/5/2019-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.